एक मुलाकात डीजीपी बिहार से

अपराध नियंत्रण के लिए इच्छाशक्ति चाहिए

राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में सूचना के अधिकार पर एक गोष्ठी (12 से 14 दिसंबर) के दौरान एक सज्जन से अनौपचारिक बातचीत करते-करते ज्यों ही उन्होंने बताया कि वे 1977 बैच के आईपीएस अभयानंद हैं और बतौर डीजीपी, बिहार तैनात हैं तो काफ़ी आश्चर्यमिश्रित हर्ष हुआ। आश्चर्य इसलिए कि इतना शालीन, मृदुभाषी एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति ने बिहार जैसे राज्य में अपराधियों पर नकेल कैसे कस दी? हर्ष इस बात के लिए कि ऐसे व्यक्ति से सीधे वार्तालाप करके उनकी कार्यशैली जानने का अवसर अनायास ही मिल गया।

सर्वविदित है कि अपराध के मामले में बिहार का स्थान सर्वोपरि रहा है जिसके चलते वहां विकास कार्य ना के बराबर रहे हैं। लेकिन नीतीश के सत्तारूढ़ होने के बाद से यकायक वहां के अपराध का ग्राफ़ गिरता चला गया। इसका राज़ जानने की जिज्ञासा काफ़ी समय से थी जो वहां के डीजीपी से रू-ब-रू होने से पूरी हो गई।

सन् 2005 में पहली बार सत्तारूढ़ होते ही नीतीश ने उन्हें (उस वक्त वे मात्र एडीजीपी ही थे) कहा कि वे तो चुनाव के दौरान जनता से वायदा कर आये हैं कि राज्य को अपराध-मुक्त कर देंगे, लेकिन अब करना तो सब आप लोग़ों को ही है। नीतीश ने आगे कहा कि एक बार फ़िर से पुलिस का रुतबा बहाल करा दीजिये। इस पर अभयानंद ने कहा कि पुलिस के रुतबे का मतलब होता है वर्दी की गुंडागर्दी, हां रुतबा बहाल होना चाहिए कानून का, न्याय व्यवस्था का। नीतीश ने कहा कि वही तो वे कह रहे हैं।

कानून का रुतबा आपने कैसे बहाल किया? जवाब में उन्होंने कहा कि 'स्पीडी ट्रायल' यानी त्वरित न्याय। एक केस में तो उन्होंने एफ़आईआर दर्ज होने के 19 दिन के भीतर तफ़्तीश व ट्रायल पूरा करा कर अपराधियों को उम्रकैद की सज़ा करवा दी। उन्होंने विस्तार से बताया कि अपराध-नियंत्रण अकेले पुलिस के वश का कभी नहीं हो सकता। यह कानून बनाने वाली विधायिका, उसे लागू करने वाली कार्यपालिका (पुलिस) तथा न्याय करने वाली अदालतों का टीम कार्य है। जैसे 400 मीटर की रिले रेस में कोई एक खिलाड़ी न तो जीत सकता है न हार सकता है, जीतेंगे तो चारों और हारेंगे तो चारों। इसी तरह कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए इन तीनों का समन्वय अति आवश्यक है। रिले रेस में एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को तयशुदा निश्चित हद में ही बैटन थमा देता है, यदि खिलाड़ी एक-दूसरे की हद में घुस जायें तो उन्हें खेल से बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह कानून-व्यवस्था के मामले में भी तीनों अंगों को अपने-अपने क्षेत्र में रह कर ही कार्य करना चाहिए। यदि पुलिस ही कानून बनाये, पुलिस ही कानून लागू करे और जज भी खुद ही बन जाये तो काम नहीं चल सकता। इसी तरह यदि विधायिका पुलिस का काम करने लगे अर्थात् राजनेता पुलिस के काम में हस्तक्षेप करने लगें तो भी काम ठीक से नहीं चलेगा।

अदालतों के बारे में उन्होंने बताया कि सैशन कोर्ट से उम्रकैद पाने वाले दो-चार साल में हाई कोर्ट में अपील डाल कर बेल करवा लेते थे, चार-पांच साल तक मामला चलने के बाद अपील रद्द हो जाती थी, लेकिन रद्द होने का आदेश नीचे पहुंचने ही नहीं दिया जाता था। हाई कोर्ट में ही किसी बाबू को पैसा दे कर फ़ाइल वहीं दबवा दी जाती थी। परिणामस्वरूप उम्रकैद पाये अपराधी छुट्टा घूमते रहते थे। इससे आम जनता में कानून-व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होना स्वाभाविक था।

विकास के लिए अपराध नियंत्रण जरूरी : अभयानंद

इसी तरह के अनेक मसलों को लेकर मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव आदि की बैठकें आयोजित कर इन्हें हल किया गया। इससे सैंकड़ों की संख्या में उम्रकैद पाये अपराधी तुरंत जेलों में पहुंचाये गये तथा आगे से इस तरह की तिकड़मों पर रोक लगाई गई। नीतीश ने अभयानंद को यह ज़िम्मेवारी सौंपते हुए पूछा कि क्या उन्हें कोई नये व कठोर कानूनों की आवश्यकता है जो वे विधानसभा से पास करवा दें या अतिरिक्त धन एवं संसाधनों की आवश्यकता है? यदि पुलिसकर्मियों की कमी लगती हो तो अतिरिक्त भर्ती की जाये? अभयानंद ने कहा कि तीनों ही चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हैं, कमी रही है तो इच्छाशक्ति की। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि अभी तक अपराधों की रोकथाम पुलिस का एजेंडा ही नहीं था।

सारी स्थिति को समझने के बाद जब नीतीश ने उन्हें राज्य पुलिस की कमांड सौंपनी चाही तो उनका सेवा क्रम में काफ़ी कनिष्ठ होना आड़े आने लगा। उनसे वरिष्ठ अधिकारी जब ऊपर बैठे हों तो उन्हें कमांड कैसे दी जाये? इसका हल यह निकाला गया कि कि डीजीपी तो एक वरिष्ठ अधिकारी को बना दिया गया जो मुख्यमंत्री की जाति से भी थे और अभयानंद को एडीजीपी मुख्यालय तथा एडीजीपी इंटेलिजेंस बना कर परोक्ष रूप से कमांड सौंप दी गयी। इससे राज्य की स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया, लेकिन नीचे से ऊपर तक पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच गयी। भ्रष्ट व कामचोर अफ़सर तो परेशान हुए सो हुए, वे राजनेता भी परेशान हो गये जिनकी दुकानदारी ठप्प हो गयी। पुलिस में गुटबंदी हो गयी तो एक दिन नीतीश ने अभयानंद से पूछ ही लिया कि क्या महकमे में गुटबंदी चल रही है? कौन-कौन किस-किस गुट में हैं? अभयानंद ने कहा कि एक गुट में वे अकेले हैं, बाकी सारे दूसरे गुट में!

कुछ समय बाद कान भरने वाले मुख्यमंत्री पर हावी हो ही गये जिसके फलस्वरूप मात्र डेढ़ साल बाद अभयानंद को 20 बटालियनों वाली बिहार सशस्त्र पुलिस का काम तथा अपने सजातीय डीजीपी को होमगार्ड का काम सौंप दिया गया। लेकिन जो नीतीश जनता को अपराधमुक्त बिहार देने का वायदा करके आया था, धीरे-धीरे उसको समझ आने लगी कि यह तो सब गुड़ गोबर होता जा रहा है। अब तक अभयानंद ने जो कुछ किया था, सारे पर पानी फ़िरता जा रहा है। उधर खाली बैठे अभयानंद की मांग भारत सरकार में होने लगी तो नीतीश ने उन्हें फ़िर से अगस्त 2011 में राज्य पुलिस की कमांड सौंपने का निर्णय ले लिया। इस बीच अभयानंद सेवा क्रम में भी काफ़ी ऊपर आ कर डीजीपी हो गये थे। लिहाज़ा इस बार उन्हें डीजीपी नियुक्त कर के प्रत्यक्ष रूप से बिहार पुलिस की कमांड सौंप दी गयी। फ़िर से कमांड संभालते वक्त अभयानंद ने मुख्यमंत्री से स्पष्ट कर लिया कि सरकार एवं राजनेता केवल नीति निर्धारित करेंगे, उस पर कार्यान्वयन में दखल नहीं देंगे। उदाहरण दे कर समझाते हुए उन्होंने कहा किसी के सिर में लठ मारने वाले को गिरफ़्तार करना राज्य की नीति है तो वह सभी लठ मारने वालों पर बिना किसी भेदभाव के लागू होगी। यहां राजनेता पुलिस को यह न बतायें कि इसको छोड़ दो और उसको पकड़ लो। विदित है कि बिहार में सभी लठैत, डकैत व हत्यारे आदि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त थे, इसलिए पुलिस उन्हें छू भी नहीं पाती थी। लेकिन अभयानंद व नीतीश के बीच हुई सहमति के चलते कानून का रुतबा बहाल हुआ और अधिकांश पेशेवर अपराधी बिलों में घुस गये।

प्राय: देखा जाता है कि ख़तरनाक अपराधियों के विरुद्ध गवाह नहीं टिकते। इसके जवाब में अभयानंद ने कहा कि गवाह केवल तब नहीं टिकते जब उन्हें सरकार व उसकी पुलिस तथा न्याय व्यवस्था पर भरोसा न हो। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि सीवान के सांसद शहाबुद्दीन जो आतंक का पर्याय बना हुआ था, को तीन मुकदमों में उम्रकैद की सज़ा गवाहों के बल पर ही करवाई है।नक्सली आतंकवाद के बारे में उनका मानना है कि यह साधारण किस्म का अपराध नहीं है। नक्सली एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से लैस हो कर दबे-कुचले निम्न तबकों को अपने साथ जोड़ कर उनके मसीहा बन जाते हैं। लेकिन उनकी आय के मुख्य स्रोत अवैध खनन तथा अन्य कारोबार हैं। इसी आय के बल पर वे आम आदमी को मात्र 1000-1500 रुपये मासिक पर भर्ती कर लेते हैं। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अवैध खनन पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। इसके लिए उन्होंने अन्य तमाम संबंधित विभागों को भी जोड़ा है। इस संदर्भ में यदि बिहार की तुलना हरियाणा से की जाये तो सब कुछ उल्टा-पुल्टा नज़र आता है। कानून-व्यवस्था पटरी पर लाना नीतीश की मजबूरी इसलिए है कि इसके बिना बिहार का पूर्णतया अवरुद्ध विकास का रास्ता खुलना असंभव था। राज्य के विकास के लिए उसका अपराधमुक्त होना अति आवश्यक है। और यदि नीतीश बिहार को विकसित कर पाने में सफ़ल हो जाते हैं, तभी वे नरेन्द्र मोदी के मुकाबले देश का प्रधानमंत्री बनने का दावा पेश कर पायेंगे।

इसके विपरीत हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के सामने न तो ऐसी कोई चुनौती है और न ही प्रधानमंत्री बनने की महत्त्वाकांक्षा। उनके लिए तो कांग्रेस हाई कमांड से मिले अपने मुख्यमंत्री पद को बचाये रखना ही बड़ी बात है। इसलिए उनका ध्यान न तो राज्य की बिगड़ती कानून-व्यवस्था की ओर है और न ही विकास की ओर। उनका ध्यान है तो केवल नोट छापने व भाषणबाज़ियों पर ही रहता है। उनके नेतृत्व एवं दिशा-निर्देशन में कार्य कर रहे पुलिस अधिकारी, जब भी अपराध नियंत्रण की बात आती है, केवल एक ही बात कहते हैं कि उनके पास संसाधनों का भारी अभाव है तथा पुलिस बल में 16000 जवानों की कमी है। उन्हें कानून भी अपर्याप्त लगते हैं। यह देखने-समझने की किसी को जरूरत नहीं कि पुलिस बल में जो जवान हैं, वे क्या कर रहे हैं? दूर जाने की जरूरत नहीं। फ़रीदाबाद ज़िले में पी.के.अग्रवाल के ज़माने में भी इतने ही जवान थे जितने अब हैं, लेकिन काम-काज में दिन-रात का अंतर कैसे हो गया? 150 जवान जो दायें-बायें कोनों में छिपे पड़े थे, कैसे बाहर निकल आये?

जिस राज्य में ज़िले नीलाम होते हों और वहां का डीजीपी किसी ज़िले के दौरे पर जा कर तमाम थाना प्रबंधकों को मीटिंग के लिए बुला कर खुद गोल्फ़ खेले, किसी उद्योगपति के घर में दिन भर सोया रहे और फ़िर रात भर दारू की महफ़िल में डूबा रहे तो उस राज्य में अपराध नियंत्रण हो भी कैसे सकता है? इसी से सिद्ध हो जाता है कि कानून-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण सरकार के एजेंडे पर है ही नहीं।

-विशेष प्रतिनिधि

एक चेहरा यह भी

डीजीपी अभयानंद सिर्फ़ पुलिस अधिकारी ही नहीं, शिक्षाविद् भी हैं। इन्होंने ग़रीब पर प्रतिभाशाली बच्चों को आईआईटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने के लिए गणितज्ञ आनंद कुमार के साथ 'सुपर थर्टी' नामक एक संस्था की स्थापना की। इस संस्था में सिर्फ़ 30 विद्यार्थियों को ही लिया जाता था और आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में सभी 30 विद्यार्थी सफ़ल रहे। अभयानंद के निर्देशन में यह सिलसिला चार वर्षों तक चलता रहा। कभी भी इस संस्था का एक भी विद्यार्थी आईआईटी प्रवेश परीक्षा में असफल नहीं हुआ। इस संस्था में कोचिंग हासिल करने वालों को कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती थी, बल्कि छात्रों को मुफ़्त में पाठ्य सामग्री भी मुहैया कराई जाती थी। अभयानंद विद्यार्थियों को फ़िजिक्स पढ़ाते थे।

बाद में आनंद कुमार से मतभेद हो जाने पर उन्होंने यह संस्था छोड़ दी। लेकिन जरूरतमंद विद्यार्थियों की हर संभव मदद अभयानंद अब भी करते हैं। बिहार सरकार ने इनके सुझाव पर कारपोरेट सेक्टर द्वारा ग़रीब होनहार बच्चों की शिक्षा के लिए एक निश्चित धन राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है जिसकी देख-रेख अभयानंद ही करते हैं। दिन भर राज्य की पुलिसिंग करते-करते जब वे थक जाते हैं तो आराम व सुकून पाने के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा अपने छात्रों को फिजिक्स पढ़ाने लगते हैं।

वित्तायुक्त ढिल्लों ने हड़काया हूडा अधिकारियों को

हड़काने वाले कई आये-गये, बेशर्म चोरों के कान पर जूं नहीं रेंगती

फ़रीदाबाद (म.मो.) 26 दिसंबर को शहर के दौरे पर आये हूडा विभाग के वित्तायुक्त एस.एस.ढिल्लों ने विभागीय अधिकारियों की हरामखोरी को देख कर उन्हें काफ़ी हड़काया व लंबित पड़े कामों को शीघ्र पूरा करने की हिदायत दी।

विदित है कि इससे पहले भी ढिल्लों साहब खुद और उनसे पहले वित्तायुक्त के.के.जालान भी इन बेशर्म कामचोरों को बहुत बुरी तरह हड़का कर गये थे। इन दोनों के अलावा भी कई अफ़सर इन्हें कई बार हड़का चुके हैं। लेकिन जिनकी नस-नस में हरामखोरी भरी हो और खाल गैंडे से भी ज़्यादा मोटी हो तो हड़काने का कोई असर नहीं होता।

इनकी इसी फ़ितरत के चलते बीसियों बरस से बन रहा बाई पास बन ही रहा है। इस पर अरबों रुपये खर्च हो चुके हैं तथा हर साल इसकी लागत में बढ़ोत्तरी होती जाती है। इस बाई पास की योजना उसी वक्त बनी थी जब सेक्टरों का निर्माण-कार्य शुरू किया गया था। लेकिन काम करने की नीयत ना होने की वजह से यह अभी तक लंबित पड़ा है। शहर के बीच से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के नाम पर दुकानों को उजाड़ने की तैयारी तो सरकार कर सकती है, लेकिन अपने निकम्मे अफ़सरों से बाई पास नहीं बनवा सकती। और तो और, इसी बाई पास का सेक्टर-9 के साथ से गुजरने वाले करीब दो किलोमीटर की एक तरफ़ की पूरी बनी-बनाई सड़क पर कुछ ट्रक बॉडी बनाने वालों ने बरसों से कब्ज़ा कर रखा है, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं। इसी बाई पास पर मलेरना के निकट बनने वाला रेलवे पुल का काम भी बरसों से 'चल' रहा है।

रेलवे ने तो अपने हिस्से का काम कब का पूरा कर दिया, जबकि उसके हिस्से का काम, चलती रेलवे लाइनों के ऊपर का भाग, काफ़ी कठिन व जोखिमपूर्ण होता है। दोनों ओर के रेम्प हूडा के अफ़सरों को बनवाने थे। ये लोग इन्हें बनाने के बजाये हर साल इसकी लागत का बिल बढ़ाने में जुटे हैं।

यही हालत ओल्ड फ़रीदाबाद के चौक पर बनने वाले रेलवे अंडरपास की है जहां रेलवे ने चलती लाइनों के नीचे का रास्ता लगभग पूरा कर लिया है और हूडा से अभी तक दोनों ओर के रेम्पों का काम भी शुरू नहीं हो सका, ये लोग अभी टेंडरों की प्रक्रिया से ही गुजर रहे हैं। ऐसी ही स्थिति बड़खल चौक पर बने रेलवे पुल को चौड़ा करने की भी है।

उपरोक्त मामले तो हूडा अफ़सरों के कार्यकलापों के कुछेक उदाहरण मात्र हैं। इन्होंने जो काम आज तक पूरे भी कर दिये हैं, वे भी कौन से ठीक हालत में हैं? इनके द्वारा बनाई गयी एक भी सीवर लाइन ठीक हालत में नहीं है। जब ये लाइनें डाली गयी थीं, उस वक्त इनका कोई इस्तेमाल नहीं था, क्योंकि मकान बने ही नहीं थे। धीरे-धीरे जब मकान बनने शुरू हुए तो कुछ समय तक सीवेज अधकच्ची-पक्की लाइनों में समाता रहा। लेकिन जब आबादी पूरी हो गयी तो इन लाइनों का भेद खुला। इस दौरान बनाने वाले ठेकेदार और बनवाने वाले अफ़सर तथा लूट में हिस्सेदार नेता सब गुजर चुके थे। यही हाल इनके द्वारा निर्मित सड़कों, इमारतों व जलापूर्ति की लाइनों व टंकियों का है। ढिल्लों, जालान अथवा नागल जैसा कोई कड़क अफ़सर कभी-कभार इनको हड़काने आ भी जाता है तो ये उसे बड़े सहज भाव से एक कान से सुन कर दूसरे से निकाल देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये सब अफ़सर टेंपरेरी हैं, आते-जाते रहते हैं, खाली भौंकने-भौंकने के हैं, काट तो सकते नहीं।

हां, जिस दिन इन अफ़सरों ने दो-चार बड़े चोरों को गड्डी चढ़ा दिया, उस दिन जरूर इनके हड़काने का असर होने लगेगा। लेकिन इन चोरों को गड्डी चढ़ाना भी तो कोई आसान काम नहीं। इन सब के अपने-अपने राजनीतिक आका हैं, जिन्हें ये लूट के माल में से बाकायदा हिस्सा देते हैं। इसके बदले ये आका इन्हें हर तरह की सुरक्षा प्रदान करते हैं।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में रोनिज़ा प्रिंटर्स, 3बी-6, एनआईटी फरीदाबाद से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06